न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 07 / 2016

जयकरण पुत्र श्री लादूराम जाति जाट निवासी माण्डासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजीवर पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी माण्डासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. रामा देवी पत्नी रिछपाल जाति जाट निवासी माण्डासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. महेश कुमार पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी माण्डासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. विनोद कुमारी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी शिशियां हाल आबाद मकान नम्बर 84 जय भवानी कॉलोनी खातीपुरा सिरसी रोड जयपुर।
5. नरेन्द्र कुमार पुत्र गोवर्धन सिंह जाति जाट निवासी शिशियां हाल आबाद मकान नम्बर 84 जय भवानी कॉलोनी खातीपुरा सिरसी रोड जयपुर।
6. शेखावाटी ग्रामीण बैंक मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार (भूमिधारक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंधारा 111, 128 रा0भू0राज0 अधि0
पत्थरगढ़ी करवाने बाबत।

निर्णय

निर्णय दिनांक 15–10–2020

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवेदक भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 1.55 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1243 रकबा 0.28 हैक्टर स्थित ग्राम माण्डासी का खातेदारी काश्तकार है तथा अनावेदकगण भूमि खसरा नम्बर 345 / 143 रकबा 4.3500 हैक्टर स्थित ग्राम माण्डासी के खातेदारी काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 345 / 143 प्रार्थी की भूमि के पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में है। अर्थात प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 123 के दक्षिण की ओर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 143 स्थित है। तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 143 के दक्षिण में अनावेदकगण की भूमि खसर नम्बर 345 / 143 स्थित है। भूमि खसरा नम्बर 143 तथा 345 / 143 पहले एक ही खेत था। इस प्रकार प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 123 तथा खसरा नम्बर 143 के पश्चिम की ओर अनावेदकगण की भूमि 345 / 143 की सीमा लगती है।

राजस्व शीट के मुताबिक प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 123 की उतरी सीमा 168 मीटर होनी चाहिए तथा दक्षिणी भूजा 164 मीटर होनी चाहिए। पूर्वी भूजा 140 मीटर तथा पश्चिमी भूजा 67 मीटर होनी चाहिए। जबकि मोके पर पटवारी हल्का माण्डासी ने दिनांक 10.05.2015 को तहसीलदार नवलगढ़ के आदेश से सीमाज्ञान किया तो प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 123 की उतरी भुजा 164 मीटर, दक्षिणी भुजा 156.30 मीटर, पूर्वी भुजा 136 मीटर तथा पश्चिमी भुजा 67 मीटर हुयी। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 143 का रकबा 0.28 हैक्टर है। यह भूमि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 123 के सटाकर दक्षिण में है। राजस्व शीट में भूमि खसरा नम्बर 143 को नही दिखाया गया है। कारण की भूमि का विभाजन नक्शा शीट बनी उसके बाद हुआ था।

भूमि खसरा नम्बर 143 की उतरी भुजा नक्शे के मुताबिक 164 मीटर होनी चाहिए तथा क्षैत्रफल के हिसाब से पूर्वी भुजा व पश्चिमी होनी चाहिए तथा क्षैत्रफल के हिसाब से पूर्वी भुजा व पश्चिमी भुजा प्रत्येक 17.07 मीटर होनी चाहिए। क्योंकि भूमि खसरा नम्बर 143 का क्षैत्रफल 0.28 हैक्टर है।

पटवारी हल्का की सीमा ज्ञान रिपोर्ट के अनुसार मोके की स्थित अनुसार भूमि खसरा नम्बर 123 की उतरी भुजा 164 मीटर है जबकि नक्शा ट्रेश के हिसाब से उतरी भुजा 168 मीटर होनी चाहिए तथा खसरा नम्बर 123 की पश्चिमी भुजा 67 मीटर है जो नक्शा ट्रेस के अनुकुल है। परन्तु भूमि खसरा नम्बर 143 की पश्चिमी भुजा मौके पर 15.20 मीटर है जो कि 17.07 मीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार खसरा नम्बर 123 की पूर्वी भूजा नक्शा ट्रेश के अनुसार 140 मीटर होनी चाहिए जो कि मौके पर 136 मीटर है। भूमि खसरा नम्बर 143 की पूर्वी भुजा मौके पर 15.70 मीअर है जबकि यह

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

24·9·20

Scanned by CamScanner

17.07 मीटर होनी चाहिए। खसरा नम्बर 123 की दक्षिणी भुजा तथा खसरा नम्बर 143 की उत्तरी भुजा 164 मीटर होनी चाहिए जो कि मोके पर 156.30 मीटर ही है। खसरा नम्बर 143 की दक्षिणी भुजा भी मो पर 157.70 मीटर है जो 164 मीटर होनी चाहिए।

इस प्रकार प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 123 व खसरा नम्बर 143 की पश्चिमी भुजा 67 मीटर + 17.07 मीटर = 84.07 मीटर होनी चाहिए जबकि मौके पर यह 67 मीटर + 15.20 मीटर = 82.20 मीटर है। इस प्रकार अनावेदकगण ने खसरा नम्बर 143 व 123 की 1.87 मीटर पश्चिमी भुजा दबा रखी है। इसी प्रकार प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 143 व 123 के पूर्वी तरफ की भुजा 140 मीटर + 17.07 मीटर = 157.07 मीटर होनी चाहिए जो कि मौके पर 136 मीटर + 15.70 = 151.70 मीटर है। इस प्रकार अनावेदकगण ने इन खसरा नम्बरान की पूर्वी भुजा 5.37 मीटर भूमि दबा रखी है। इसी प्रकार दक्षिण की भुजा मौके पर 157.70 मीटर है जो कि 164 मीटर होनी चाहिए। इस प्रकार अनावेदकगण ने खसरा नम्बर 143 की 6.30 मीटर दक्षिणी भुजा दबाई है। खसरा नम्बर 123 की उत्तरी भुजा मौके पर 164 मीटर है जबकि होनी चाहिए 168 मीटर। इस प्रकार अनावेदकगण ने प्रार्थी की भूमि उत्तरी पश्चिमी तरफ से 4 मीटर चौडाई मे व दक्षिणी तरफ चौडाई में 6. 30 मीटर अनावेदकगण ने अपने खेत खसरा नम्बर 345/143 में आवेदक के खसरा नम्बरान की पश्चिमी भुजा दबा रही है। अनावेदक नम्बर 6 के यहां अनावेदक नम्बर 1 व 2 ने अपने हिस्से की भूमि रहन रखी है। इस कारण उसे पक्षकार बनाया गया है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 123 व 143 स्थित ग्राम माण्डासी में उपर बताये अनुसार अनावेदकगण द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 343/143 में दबाई भूमि को निकलावकर पत्थरगड्डी करवायी जाकर प्रार्थी को सौपने का आदेश तहसीलदार नवलगढ अनावेदक नम्बर 07 को देवे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र भर्रा ने वकालत नामा पेश किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र हेत अवसार चाहा। प्रतिवादी नम्बर 04 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी नम्बर 05 की तलबी सही पता नही होने से अदम तामिल प्राप्त। प्रतिवादी नम्बर 06 व 07 की तलबी जरिये रजिस्ट्रेड डाक से जारी करने के पश्चात 01 माह की अवधि में इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम माण्डासी की नकल जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 के अनुसार भूमि की खातेदारी आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 5 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसका सीमाज्ञान नियमानुसार पटवारी हल्का माण्डासी से दिनांक 10.05.2015 को करवाया गया। दिनांक 10.05.2015 को हुई सीमाज्ञान में आवेदक की भूमि की सही नाप जोख नही हुआ है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगड्डी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में पत्थरगड्डी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। ग्राम माण्डसी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 123 व 143 की अपनी सीमाओं पर सीमाज्ञान पुनः सीमाज्ञान कर नियमानुसार शुल्क राजकोष जमा करवाये जाकर पत्थरगड्डी करवाये जाने बाबत तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है प्रार्थी एवं अप्रार्थी की मौजुदगी में ही सीमाज्ञान कर पत्थरगड्डी करेगे। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–10–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10

(इन्द्राज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner